न्यायालय जिला कलक्टर, अजमेर जिला अजमेर

राजस्व अपील (LRएक्ट) सं. 01/2017

श्रीमती प्रेमलता पत्नी श्री सीताराम जांगिड जाति जांगिड निवासी–ग्राम बीर तहसील व जिला–अजमेर। .....अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार अजमेर .....रेस्पोन्डेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :– 1. श्री महेन्द्र सिंह चौहान अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री हेमराज राठौड राजकीय अभिभाषक

दिनांक –31.12.2019

आदेश

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम बीर तहसील एवं जिला अजमेर स्थित वर्किंग ख.नं0 1549 रकबा 0–7–0, 1550 रकबा 01–4–0, खसरा नं0 1551 रकबा 01–15–0, खसरा नं0 1559 रकबा 0–9–10, खसरा नं0 1560 रकबा 0–13–0 ,खसरा नं0 1562 रकबा 0–05–10, खसरा नं0 1563 रकबा 0–18–0, खसरा नं0 1564 रकबा 0–01–10, खसरा नं 1565 रकबा 0–4–00, खसरा नं0 1566 रकबा 0–12–00, खसरा नं0 1567 रकबा 0–9–00, के आधारभूत खसरा नं0 क्रमशः 3042मि. रकबा 0–06 हैक्टर, 3042मि. रकबा 0–10 हैक्टर, 3043मि. रकबा 0–09 हैक्टर, 3041मि. रकबा 0–14 व 3043मि. रकबा 0–14 हैक्टर, 3033 रकबा 0–08 हैक्टर, 3040 रकबा 0–11 हैक्टर, 3031 रकबा 0–02 हैक्टर व 3032 रकबा 0–02 हैक्टर, 3016 रकबा 0–15 हैक्टर, 3015 मि. रकबा 0–04 हैक्टर, 3015 मि. रकबा 0–04 हैक्टर, 3015 मि. रकबा 0–09 हैक्टर, 3015 मि. रकबा 0–07 हैक्टर में स्व0 रतनलाल पुत्र स्व0 भागीरथ जांगिड, प्रेमलता पत्नि सीताराम तथा सीताराम पुत्र हरदयाल कौम खाती का 1/3 –1/3 हिस्सा निहित था। जिसमें से रतनलाल पुत्र भागीरथ ने अपने 1/3 हिस्से की वसीयत दो गवाहान के समक्ष दिनांक 07.10.1998 को रूपये 5/– के स्टाम्प पर अपीलान्ट के हक में निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से पंजीकृत करवाई गई। वसीयतकर्ता रतनलाल के दिनांक 21.12.1998 को निधन के पश्चात अपीलान्ट उक्त आराजियात पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चली आ रही है। अपीलान्ट द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम अमल दरामद कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। इस पर नामान्तरकरण संख्या 235 भरा गया जिसे तहसीलदार, अजमेर द्वारा आदेश दिनांक 9.6.2000 से खारिज कर दिया गया। अपीलान्ट द्वारा रेस्पोडेन्ट के इसी नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 09.6.2000 से असन्तुष्ट होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई।

अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेन्ट को नोटिस जारी किया गया। अधिनस्थ न्यायालय का सम्बन्धित रेकार्ड तलब किया। रेस्पोंडेन्ट जरिये राजकीय अभिभाषक उपस्थित आये। तत्पश्चात पत्रावली बहस हेतु नियत की जाकर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने बहस दौरान अपील कथनों को दोहराते हुये निवेदन किया कि ग्राम बीर तहसील एवं जिला–अजमेर स्थित प्रश्नगत आराजियात में

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

स्व0 रतनलाल पुत्र स्व0 भागीरथ जांगिड, प्रेमलता पत्नि सीताराम तथा सीताराम पुत्र हरदयाल कौम खाती का 1/3 –1/3 हिस्सा निहित था। जिसमें से रतनलाल पुत्र भागीरथ द्वारा अपने 1/3 हिस्से की वसीयत दिनांक 07.10.1998 को रूपये 5/– के स्टाम्प पर दो गवाहान के समक्ष अपीलान्ट के हक में निष्पादित कर नोटेरी पब्लिक से पंजीकृत करवाई गई। वसीयतकर्ता रतनलाल के निधन दिनांक 21.12.1998 के पश्चात अपीलान्ट उक्त आराजियात पर बतौर खातेदार काश्तकार काबिज चली आ रही है। अपीलान्ट द्वारा उक्त वसीयत के आधार पर राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी में अपीलान्ट का नाम दर्ज करवाये जाने हेतु तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर नामान्तरकरण दर्ज किये जाने का निवेदन किया गया। इस पर नामान्तरकरण संख्या 235 भरा गया जिसे तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक 9.6.2000 से खारिज कर दिया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना विधिक प्रकिया के आक्षेपित आदेश पारित किया गया है जो काबिले खारिज है। बहस जारी रखते हुए वकील अपीलान्ट ने आगे कथन किया कि वसीयतकर्ता रतनलाल पुत्र भागीरथ की मृत्यु दिनांक 21.12.98 के पश्चात उनके हक हिस्से की आराजी के काश्तकारी स्वत्व उक्त वसीयत के आधार पर अपीलान्ट में निहित हो गये थे। यदि अधिनस्थ न्यायालय का कोई विवाद का अंदेशा था तो आदेश पारित करने से पूर्व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत जांच एवं परीक्षण की कार्यवाही की जानी चाहिए थी। किन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसी कोई कार्यवाही नहीं की गई, ना ही पक्षकारान को साक्ष्य सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया। तहसीलदार अजमेर द्वारा वादग्रस्त आराजी की मौके की भौतिक स्थिति की जांच नहीं कर लैण्ड रिकार्ड रूल्स 119 लगायत 121 की पालना किये बिना गैर कानूनी रूप से आदेश दिनांक 9.6.2000 पारित कर आक्षेपित नामान्तरकरण संख्या 235 निरस्त कर दिया जो काबिले निरस्त है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आक्षेपित आदेश दिनांक 09.06.2000 निरस्त फरमाते हुए ग्राम बीर तहसील एवं जिला–अजमेर स्थित विवादित आराजियात का नामान्तरकरण वसीयत दिनांक 07.10.1998 के आधार पर अपीलान्ट के नाम तस्दीक कर राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद कराने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

जवाब में रेस्पोडेन्ट्स अभिभाषक/पैरोकार सरकार ने कथन किया कि विवादित भूमि के रतनलाल पुत्र भागीरथ, प्रेमलता पत्नि सीताराम तथा सीताराम पुत्र हरदयाल कौम खाती की 1/3 –1/3 हिस्से के काबिज खातेदार/काश्तकार रहे। जिसमें 1/3 हिस्से के काबिज खातेदार काश्तकार श्री रतनलाल की मृत्यु दिनांक 21.12.1998 को होना अपील में जाहिर किया गया है। तहसीलदार द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांक 9.6.2000 के 16 वर्ष पश्चात कथित अपंजीबद्ध वसीयत के आधार पर प्रस्तुत अपील के जरिये अपीलान्ट को उपरोक्त वादग्रस्त आराजी बाबत हक अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है। अपीलान्टस अपने निहित खातेदारी अधिकारों के अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत कर सकतें है। अपीलाधीन आदेश पूर्ण रूप से विधिवत है जिसमें किसी प्रकार की कोई त्रूटि कारित किया जाना प्रमाणित नहीं है। अतः अपील सारहीन होने से अस्वीकार की जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर ध्यान पूर्वक मनन किया, रेकार्ड पत्रावली का अवलोकन किया, पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलान्ट की अपील नामान्तरकरण संख्या 235 दिनांक 9.06.2000 पर पारित आदेश के विरूद्ध है। जो कि उपरोक्त आदेश दिनांक 9.06.2000 के लगभग 16 वर्ष की अवधि गुजरने पर प्रस्तुत की गई है। पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण भरकर पेश करने पर सक्षम अधिकारी द्वारा समस्त तथ्यों की जाचं के उपरान्त ही "वसीयतनामा अपंजीकृत है उसकी जांच की गई वसीयत पैतृक सम्पति की, की गई है अतः नामान्तरकरण अस्वीकृत किया जाता है।" के अंकन के खारिज किया गया है। चूंकि अपीलान्ट द्वारा इतनी लम्बी अवधि को कन्डोन करने सम्बन्धी

न्यायालय जिला कलक्टर अजमेर

जिला कलक्टर
अजमेर

Scanned by CamScanner

कोई ठोस युक्तियुक्त न्यायोचित आधार पेश नहीं किया गया तथा प्रश्नगत भूमि बादग्रस्त नहीं होने बाबत भी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य ही पेश किये गये है। लिहाजा अपीलान्ट की अपील अस्वीकार कर खारिज की जाती है। चूंकि नामान्तरकरण एक Fiscal proceeding है जिससे हकों का निर्धारण नहीं होता है। अपीलान्ट अपने निहित खातेदारी अधिकारों के अनुतोष हेतु सक्षम न्यायालय में नियमित वाद प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील पर्याप्त साक्ष्य, सबूत व ठोस आधार के अभाव में स्वीकार योग्य प्रतीत नहीं होने से अस्वीकार कर खारिज की जाती है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 31.12..2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला कलक्टर,
अजमेर

Scanned by CamScanner